

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला झुन्डुनू (राज.)
दिनांक 12.03.2022 (शनिवार)

लोक अदालत बैंच न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी

मिसल नम्बर:-48/2022

किरम प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

भगवती देवी पत्नि इन्द्राज जाति जांगिड़ निवासी रसूलपुर तह. खेतड़ी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुन्डुनू
(राज.)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.03.22	<p>आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1639 दिनांक 17.11.2021 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:—</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम रसूलपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्मत 2075-2078 हाल खाता संख्या 86 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि भगवती पत्नि इन्द्राज के स्थान पर भगवती पत्नि इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 12.03.2022 को मजमे आम में सुनाया गया।</p>	

(हवा सिंह निर्वाण)
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

(विवेक कटारिया)
RTS
सदस्य
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार
खेतड़ी (झुन्डुनू)

(रिंक कुमार)
न्यायिक अधिकारी
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट खेतड़ी

